माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

नि0 – 1549 – PBR 16

प्र0क0 /2015–16 /निगरानी

विनोद सिंह राजपूत पुत्र श्री रामजीलाल निवासी -- बी व्लॉक आनंद नगर ग्वालियर

----- प्रार्थी

बनाम

अजय बंसल पुत्र स्व श्रीराम बंसल निवासी ए–2 द्वारिका पुरी शहर लश्कर ग्वालियर

---- प्रतिप्रार्थी

दिनांक 18.5.16 को श्री जी.एस. बनाफर अभि0 द्वारा प्रस्तुत।

18.5.16

50

18-5-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 सहिता 1959 विरूद्ध प्र0क0 18/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 द्वारा माननीय एस.डी.ओ महोदय ग्वालियर

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रकार प्रस्तुत है ।

1. यहकि कृषि भूमि ग्राम बरौआ के सर्वे क्र 1060/2 मिन–2 रकवा 0.836 , 1061/1 रकवा 0.031 कुल किता 2 कुल रकवा 0.867 है भूमि मे से रकवा 0.314 हेक्टर रामकरन पुत्र श्री सुखलाल के स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की थी रामकरन द्वारा अपीलांट (नाती) विनोद सिंह राजपूत के हित में एक वसीयत नामा सम्पादित किया था वसीयत के आधार पर दिनांक 28.07.2014 को तहसीलदार महोदया ने नामातरण प्रार्थी के पक्ष में किया गया । नामातंरण आदेश मे प्रतिप्रार्थी ने लिखित में सहमति देते हुये आदेश दिनांक 28.07.2014 को आदेश पारित किया गया और आदेश दिनांक की जानकारी प्रतिप्रार्थी को होने के वाद भी उक्त आदेश दिनांक 28.07.2014 की अपील माननीय एस.डी.ओ महोदय की न्यायालय विलम्ब से पेश की गई और न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर के धारा 5 का आवेदन पत्र व शपथपत्र गलत पेश किया गया था तथा उक्त आवेदन पत्र व शपथपत्र का जबाब प्रार्थी ने पेश किया तथा वहस की थी की अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी थी उसके वाद भी एस.डी.ओ महोदय ने अपीलांट के पक्ष में आदेश पारित किया है अपील समय सीमा मे मानकर के जो आदेश पारित किया है दिनांक 21.03.2016 को माननीय एस.डी.ओ महोदय ने उसी से दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय मे निम्न आधारो पर प्रस्तुत है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1549/पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	